URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27 (317) ग्राविवि/ग्रुप–5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017–18 जयपुर, दि. 20 जुलाई, 2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

विषय :– ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सम्पादित कराये जाने वाले सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने बाबत्।

प्रसंग :– विभागीय पत्र क्रमांक एफ 27(41)/ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/क्यूसी/2015–16 दिनांक 08.02.2016, 20.09.2016 एवं पत्र क्रमांक एफ 27(254) ग्रावि/ग्रुप–5/ जीकेएन/2015–16 दिनांक 10.08.2016

विभाग द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत सम्पादित निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जाँच एवं आवासों के भौतिक सत्यापन हेतु विभाग द्वारा प्रासंगिक पत्रों द्वारा 15 स्वयंसेवी संस्था/ सरकारी/गैर–सरकार संस्थाओं की सेवाएँ तृतीय पक्ष निरीक्षणकर्ता के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इसी क्रम में विभागीय पत्र दिनांक 10.08.2016 के द्वारा कार्यों के सम्पादन के दौरान ही लिये गये सैम्पल आदि की जांच सार्वनिक निर्माण. विभाग द्वारा निर्धारित परीक्षण दरों (पत्र क्रमांक एफ 27(41) ग्रावि/ग्रुप–5/क्यूसी/2015–16 दिनांक 08.02.2016) पर गुणवत्ता की जांच सार्वजनिक निर्माण विभाग/सरकारी, गैर–सरकारी तकनीकी संस्थान की प्रयोगशालाओं में करवाकर अपेक्षित सुधार/मार्गदर्शन उपलब्ध कराने बाबत् निर्देशित किया हुआ है।

ऐसा ध्यान में आया है **कि कार्यकारी संस्था यथा ग्राम पंचायत** द्वारा 15 सूचीबद्ध /पंजीकृत तृतीय पक्ष निरीक्षणकर्ता/संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण के क्रम में मौके से लिये गये सैंपलों की निजी संस्थाओं/प्रयोगशालाओं से जाँच करवाकर जाँच/परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर निर्माण कार्यो के उपयोगता/पूर्णताः प्रमाण पत्रो का समयोजन किया जा रहा है, जबकि विभागीय पत्र दिनांक 10.08.2016 में वर्णित निर्देशानुसार किसी भी निजी स्तर पर की प्रयोगशालाओं से प्राप्त परीक्षण/जाँच रिपोर्ट मान्य नहीं है।

अतः उक्त संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें :–

1. निर्माण कार्यों की गुणवत्ता हेतु प्रयोगशाला परीक्षण/जाँच का कार्य राजस्थान तकनीकी विश्व विद्यालय कोटा व निदेशालय, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर के अधीन तकनीकी महाविद्यालय एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रयोगशालाओं में ही करवाया जावें।
2. निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण की दृष्टि में आवश्यक सेम्पल कलेक्शन आदि का कार्य संबंधित विभागीय अधिकारियों (अधिशाषी/सहायक/कनिष्ठ/अभियंता/कनिष्ठ तकनीकी/सरपंच/ग्राम सेवक) की उपस्थिति में जियोटेग फोटो सहित किया जावे।
3. उक्तानुसार लिये गये सैम्पल हेतु "सैम्पल लेने से सैम्पल टेस्ट प्रक्रिया तक" का विवरण पंचायत समिति स्तर पर एक रजिस्टर में रिकॉर्ड संधारित किया जावें।
4. किसी भी निर्माण कार्य की गुणवत्ता परीक्षण/जाँच का कार्य किसी भी स्थिति में निजी स्तर पर की प्रयोगशाला/सूचीबद्ध तृतीय पक्ष संस्थाओं से नहीं करवाया जावें।
5. जिला परिषद् कोटा द्वारा जिला स्तर व पंचायत समिति स्तर पर स्थापित गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की संलग्न रिपोर्ट की समीक्षा कर आपके जिले में गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कराने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
6. उक्तानुसार जिला/पंचायत समिति स्तर पर स्थापित प्रयोगशालाओं में संबंधित अभियंता (कनिष्ठ/सहायक/अधिशाषी अभियंता) के द्वारा/समक्ष निर्माण कार्यों के लिए गए सैम्पलों का परीक्षण उनकी निगरानी में कराकर उनके हस्ताक्षर से परीक्षण रिपोर्ट जारी करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, महात्मा गाधी नरेगा, ग्रामीण विकास ।
7. निजी सचिव, आयुक्त जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग।
8. जिला क्लक्टर समस्त, राजस्थान।
9. परियोजना निदेशक एवं पदेन उपसचिव (मो. एव मु./एसएपी–I/एसएपी–II ईजीएस), ग्रामीण विकास।
10. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस/ग्रावि/(प्रो0) महात्मा गॉधी नरेगा/ग्रामीण विकास/ पंचायतीराज
11. अधिशाषी अभियंता, अभि./ईजीएस, जिला परिषद्, समस्त, राजस्थान।
12. सहायक प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेब साईट पर उपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

D:\iay\letter to district\Letter.docx

कार्यालय जिला परिषद, कोटा

(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)

क्रमांक : जिपको /2017–18/114-17 दिनांक 16/6/17

कोटा जिले में स्थापित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की रिपोर्ट

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं में करवाये जा रहे निर्माण कार्यो की गुणवत्ता उच्च स्तर की बनाये रखने के प्रयास में कोटा जिले की पांचों पंचायत समितियों तथा जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की गई हैं। इस प्रयोगशाला का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में वर्तमान में 04 (5) प्रकार के आईटम खरीदे गए है :–
   (i) Electrically Operated CTM 2000 ISI Mark जिसकी Cost 93100/- +14.5% Vat Extra आई हैं।
   (ii) Core Cutter with cylindrical core cfutter of 127.3 mm ht. 100 mm dia जिसकी Cost 2058/- +14.5% Vat Extra आई हैं।
   (iii) Eelectronic weight machine upto 5 kg ISI Mark जिसकी Cost 3430/- +14.5% Vat Extra आई हैं।
   (iv) Cube moulds, 150 mm जिसकी Cost 1764/- +14.5% Vat Extra आई हैं।
   (v) Cube moulds, 70.60 mm जिसकी Cost 1274/- +14.5% Vat Extra आई हैं।
2. इस प्रकार सभी आईटम पर करीब 1.28 लाख का खर्चा आया है।
3. सभी सामग्री के लिए जिला स्तर से टेण्डर आमंत्रित किये गये हैं।
4. वर्तमान में कम्प्रेशिव टेस्टिंग मशीन द्वारा इन्टरलांकिग ब्लाक/सी0सी0 रोड की क्यूब टेस्टिंग की जा रही हैं। इस कार्य हेतु कार्य स्थल से संबंधित कनिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा ब्लॉक रेण्डमली कलेक्ट कर टेस्टिंग हेतु पंचायत समिति भिजवाये जाते हैं। कार्यालय द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत/संवदेक से टेस्टिंग फीस रूपये 750/– जमा किये जाते हैं। प्रत्येक कार्य का विवरण मय टेस्टिंग रिपोर्ट रजिस्टर में इन्द्राज कर संबंधित ग्राम पंचायत को सहायक अभियंता के हस्ताक्षर से रिपोर्ट जारी की जाती हैं।
5. Soil core cutter, weight Machine and Hamrer का उपयोग मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजनान्तर्गत संपादित की जारी रही एमपीटी/तलाई/तालाब के Compaction की जांच हेतु Soil Densitytest लिये जा रहे है।

(लोकेश दाधीच)
अधिशाषी अभियंता (अभि.)
जिला परिषद, कोटा

कार्यालय जिला परिषद, कोटा

(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)

क्रमांक : जिपको /2017–18/ 114 दिनांक 16/6/17

अधीक्षण अभियंता (ग्रावि)
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5) जयपुर।

विषयः– कोटा जिले में स्थापित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की रिपोर्ट के संबंध में।

विषयान्तर्गत श्रीमान् शासन सचिव, महोदय के निर्देशों की पालना में कोटा जिले में स्थापित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की रिपोर्ट अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, कोटा

क्रमांक : जिपको /2017–18/ 114–17 दिनांक 16/6/17

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय कोटा।
3. अधिशाषी अभियंता (अभि.) जिला परिषद, कोटा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, कोटा